न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
200/2016	दावा 53, 92ए, 188 RTA	17.06.2016	28.06.2019

1. स्वर्गीय शिशपालसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू

1/1 सागरकंवर पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासिनी जासासर तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. बहादुरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री जगदीश कस्वां व श्री इब्राहिमखान वादी
2. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण व श्री हीरालाल प्रतिवादी

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई हैं तथा कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 कुल किता 5 कुल तादादी 83 बीघा 3 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील चूरू जिला चूरू के 1/2, 1/2 हक हिस्सा के खातेदार काबिज काश्तकार हैं व राजस्व रिकार्ड में भी यह कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से बहिस्सा बराबर अंकित है। यही वादगत कृषि भूमि है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 जब अलग अलग हुए तो वादगत कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया मुताबिक बाहमी बंटवारा के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 काबिज चले आ रहे हैं मगर अब प्रतिवादी सं. 1 नाराज रहने लग गया है। प्रतिवादी ताकतवर व पैसेवाला है बड़े परिवार वाला है राजनैतिक पहूंच रखता है जबकि वादी कमजोर, गरीब अनपढ काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो ताकत के बल पर प्रतिवादी सं. 1 का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 1 वादी को उसके 1/2 हिस्सा हक की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकियां दे रहा है व अच्छी किस्म की भूमि हड़पना चाहता है। वादगत कृषि भूमि जो बिना बंटी हुई, अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, को बेचने की धमकियां दे रहा है इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 ने ग्राहक भी तलाशने शुरू कर दिये हैं। इसलिए वादी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वादी, प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध चिरस्थाई व्यादेश की डिक्री इस आशय की हासिल करे कि प्रतिवादी सं. 1 वादगत कृषि भूमि में वादी के 1/2 हक हिस्से से वादी को प्रतिवादी सं. 1 जबरन बेदखल न करे, न ही वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करें वा किसी अन्य से करवाये एवं प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं करे, न बैय रहन दान वसीयत आदि करे। इस हेतु वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

चिरस्थाई व्यादेश प्राप्ति का यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है कृषि भूमि की अच्छी बुरी किस्म को लेकर सींव आदि को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच विवाद व तनाव बना रहता है तथा के.सी.सी. जैसी सुविधा से भी वादी वंचित हो रहा है। इसलिए वादी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वादी वादगत कृषि भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाये अलग अलग खाता करवा कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करवावे व अलग ही सींवे व लगान कायम करवाये। इस हेतु वादी की ओर से यह दावा पेश किया जा रहा है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा व दूसरों से भी कहलवाया कि वो वादी के कब्जे काश्त व हक हिस्से में आई 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे न ही जबरन बेदखल करने का प्रयास करे व न ही वादगत अविभाजित कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी तरीके से हस्तान्तरण रहन ही करे तथा वादी के साथ चलकर प्रतिवादी सं. 2 से मिलकर वादगत कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अलग अलग खाता विभाजित करवाये। पहले तो प्रतिवादी सं. 1 हां हूं करता रहा मगर आखिर में दिनांक 23.07.2013 को ऐसा करने से प्रतिवादी सं. 1 इन्कार हो गया। वादी वादगत कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार होने से वादी को इस दावा के प्रति आधार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से वादी को इस दावा के प्रति कारण प्राप्त है। यह कि प्रतिवादी सं. 2 के पावर व पजेशन में वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड है दावा वादी डिक्री होने की सूरत में डिक्री की पालना भी प्रतिवादी सं. 2 के मार्फत होनी है चूंकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 को धारा 80 सी. पी.सी. का नोटिस दिये बिना प्रतिवादी सं. 2 को पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाया जाकर दावा वादी पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है पक्षकारान वाद भी श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र के हैं इसलिए इस दावा के प्रति श्रीमान् जी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। दावा वादी अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमायें:—

(क) वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 तादादी क्रमशः 31 बीघा 10 विश्वा, 9 बीघा 9 विश्वा, 1 विश्वा, 10 बीघा 13 विश्वा, 31 बीघा 10 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील चूरू का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन कर 1/2, 1/2 हिस्सा के अलग अलग खाता कर अलग अलग लगान कायम किये जावें।

(ख) चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी सं. 1 वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 तादादी क्रमशः 31 बीघा 10 विश्वा, 9 बीघा 9 विश्वा, 1 विश्वा, 10 बीघा 13 विश्वा, 31 बीघा 10 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील चूरू जिला चूरू में वादी के 1/2 हक हिस्सा की भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे, वादी की 1/2 हिस्सा व कब्जा काश्त में कोई दखल न करे, वादगत कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें, न बैय, रहन, दान, वसीयत आदि करें।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवदीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वोह भी दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री आनन्द बालाण एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली जवाबदावा में लम्बित चलती रही। अन्त में स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया गया। वकील प्रतिवादी ने जवाबदावा मय सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 जिस प्रकार से लिखी गई है सही नहीं है। कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के पिता स्व. पाबूदानसिंह के जीवनकाल में मौखिक रूप से करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिस मौखिक विभाजन में वादी शिशपालसिंह के हिस्से में कृषि भूमि ख.नं. 467, 412 तादादी कमशः 31 बीघा 10 विश्वा, 9 बीघा 9 विश्वा आयी हुई है वा इस मौखिक विभाजन में ख.नं. 421, 422, 366 जो नक्शा में 466 अंकित है तादादी कमशः 1 विश्वा जिसमें पक्का कुण्ड निर्मित है व 10 बीघा 13 विश्वा व 31 बीघा 10 विश्वा कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी के हिस्सा में आई हुई है जिस आपसी मौखिक विभाजन के मुताबिक विभाजन के समय से ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से में आयी हुई उपरोक्तनुसार कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज हैं एवं अलग अलग ही काश्त कर रहे हैं। यह कि दावा की मद सं. 2 के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं सही नहीं हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 का अलग अलग होना सही लिखा है व उसी समय कृषि भूमियों का बंटवारा होना सही लिखा है। इस मौखिक बाहमी बंटवारे में वादी के हिस्से में ख.नं. 467, 412 कुल तादादी 40 बीघा 19 विश्वा कृषि भूमि हिस्से में आयी हुई है वा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में ख.नं. 421, 422, 366 जो राजस्व नक्शा में ख.नं. 466 अंकित है कुल तादादी 42 बीघा 4 विश्वा कृषि भूमि आयी हुई है उसी बाहमी मौखिक बंटवारा मुताबिक पक्षकारान अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करते हैं। दावा में वर्णित कृषि भूमियां अविभाजित नहीं है। दावा में वादगत कृषि भूमियों को अविभाजित होना गलत लिखा है। इस मद में वादी को बेदखल करने वा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कृषि भूमि बेचने के तथ्य गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि दावा की मद सं. 4 में वर्णित समस्त तथ्य गलत लिखे हैं जो समस्त अस्वीकार किये जाते हैं। दावा में वर्णित कृषि भूमि का बाहमी तौर पर मौखिक विभाजन काफी वर्षों पहले हो चुका है व उस मौखिक विभाजन के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपनी अपनी हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज हैं। दावा में वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के अलग होने के समय ही स्व. पाबूदानसिंह के जीवनकाल में उपर वर्णितानुसार हो चुका है जिस बाहमी मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी वा प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि उपर वर्णित बंटवारा अनुसार अलग अलग काश्त करते हैं। इसलिए वादी का दावा खारिज योग्य है।

यह कि दावा की मद सं. 5 में वर्णित तथ्य कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। दावा धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना पेश किया है जो खारिज योग्य है। यह कि दावा की मद सं. 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार किये जाते हैं। दावा न्यायालय को सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार नहीं है। दावा खारिज योग्य है। यह कि दावा में वर्णित कृषि भूमियों का आपसी बाहमी मौखिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी

स्व. पाबूदानसिंह के जीवनकाल में ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच हो चुका है। जिस बाहमी विभाजन के मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज हैं। दावा में वर्णित कृषि भूमि का पहले से विभाजन होने के कारण पुनः विभाजन कानूनन नहीं किया जा सकता। इसलिए विभाजन का यह दावा चलने के काबिल नहीं है। खारिज योग्य है। यह कि कृषि भूमि ख.नं. 450 वादी व प्रतिवादी सं. 1 की शामिल खातेदारी कृषि भूमि है जिसे गलत रूप से दावा में शामिल नहीं किया गया है। कानूनन विभाजन के दावा में संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण कृषि भूमि को शामिल करके विभाजन का दावा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार ख. नं. 450 को शामिल किये बिना पेश किया गया यह वाद खारिज योग्य है। यह कि ख.नं. 366 तादाऊी 31 बीघा 10 विश्वा जिसे राजस्व नक्शा में गलत रूप से 466 अंकित कर दिया गया है वह भी मौखिक विभाजन में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आया हुआ है व मौखिक विभाजन में ख. नं. 421 व 422 तादादी क्रमशः 1 विश्वा व 10 बीघा 13 विश्वा भी प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह के हिस्से में आई हुई है जिसे बहादुरसिंह काश्त करते हैं व मौखिक बाहमी बंटवारा में ख.नं. 467 व ख.नं. 412 तादादी क्रमशः 31 बीघा 10 विश्वा व 9 बीघा 9 विश्वा वाके रोही गांव जासासर वादी शिशपाल के हिस्से में आई हुई है जिसे वादी शिशपाल काश्त करता है। यह कि दावा में वर्णित अनुतोष क ता घ प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है। दावा खारिज योग्य है।

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे वा ख.नं. 366 के राजस्व नक्शा में ख.नं. 366 के स्थान पर गलती से ख.नं. 466 अंकित है। जिस राजस्व नक्शा को दुरूस्त किया जाकर ख.नं. 466 के स्थान पर 366 किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाबदावा पेश होने पर पत्रावली जवाबुल जवाब में लम्बित चलती रही। इस दौरान वादी शिशपालसिंह की मृत्यु हो जाने पर वकील वादी की ओर से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश करने के आदेश दिये गये। काफी अवसर व समय दिया जाने के बाद संशोधित टाईटल पेश किया गया जो पत्रावली के अवर में शामिल किया गया। वकील वादी द्वारा जवाबुल जवाब हेतु स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया जाने के बावजूद भी जवाबुल जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर दिनांक 06.11.2017 को दावा में निम्नांकित तनकियात् कायम की गईः—

1. आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 तादादी क्रमशः 31.10, 9.09, 0.01, 10.13, 31.10 रोही मौजा जासासर तहसील चूरू का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर 1/2, 1/2 हिस्सा के अलग—अलग खाते व लगान कायम किये जावें ?

—जिम्मे वादी—

2. आया प्रतिवादी सं. को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावे कि वो उपरोक्त वादगत कृषि भूमि में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखल न करे ?

—जिम्मे वादी—

3. आया वादगत कृषि भूमियों का पूर्व में बाहमी विभाजन हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उसी अनुसार काबिज हैं जिससे पुनः विभाजन का पेश दावा काबिल खारिज है ?

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

–जिम्मे प्रतिवादी–

4. आया ख.नं. 450 वादी व प्रतिवादी सं. 1 की शामिल खातेदारी की भूमि को शामिल दावा नहीं किये जाने से दावा वादी खारिज योग्य है ?

–जिम्मे प्रतिवादी–

5. आया वादगत कृषि भूमि के ख.नं. 366 के राजस्व नक्शा में 366 के स्थान पर गलती से ख.नं. 466 अंकित है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है ?

–जिम्मे प्रतिवादी–

6. अन्य अनुतोष।

दावा में तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गई एवं पत्रावली साक्ष्यवादी में लम्बित रही। इस दौरान नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.08.2019 से पूर्व ही दिनांक 24.06.2019 को वादिनी सागरकंवर एवं प्रतिवादी बहादुरसिंह ने प्रार्थना पेश कर पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर सुनवाई का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों की सहमति से पत्रावली पेशी में ली गई। वादिनी की ओर से श्री इब्राहिम खान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री हीरालाल एडवोकेट उपस्थित हुए जिन्होंने अपने पक्षकारान की पहचान की। दोनों पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को शामिल पत्रावली किया जाकर पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। दोनों पक्षों ने राजीनामा में अंकित तथ्यों का सही सही होना स्वीकार किया जिस पर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक किया गया।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित किया कि उपर वर्णित दावा में वादी शिशपालसिंह का स्वर्गवास हो गया है वा उनकी एकमात्र वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सागरकंवर है वा प्रतिवादी बहादुरसिंह के बीच बाहमी राजीनामा हो चुका है जिस बाहमी राजीनामा अनुसार निम्न अनुसार पारिवारिक फैसलानामा अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है:–

1. यह कि बाहमी पारिवारिक फैसलानामा अनुसार कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421 वा 422 तादादी कमशः 7.9673 हैक्टेयर, 2.3902 हैक्टेयर, 0.0126 हैक्टेयर वा 2.6937 हैक्टेयर कुल 13.0638 हैक्टेयर वाके रोही जासासर में सागरकंवर पत्नी शिशपालसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी बहादुरसिंह के हक में छोड़ दिया है व इन खसरा नम्बर की भूमि बहादुरसिंह प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रखी गई है जो इसका एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह रहेगा वा उसी का मौके पर कब्जा वा काश्त है।
2. यह कि ख.नं. 467 तादादी 7.9673 हैक्टेयर वाके रोही जासासर तहसील चूरू में प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह 1/2 हिस्से का खातेदार है जिसमें बाहमी पारिवारिक फैसलानामा अनुसार अपना हिस्सा सागरकंवर पत्नी स्व. शिशपालसिंह राजपूत निवासी जासासर जो कि वादी शिशपालसिंह की पत्नी है, के हक में छोड़ा गया है। इस प्रकार इस खसरा नम्बर में 1/2 व 1/3 हिस्सा की एकमात्र खातेदार काश्तकार सागरकंवर पत्नी शिशपालसिंह है वा शेष 1/6 हिस्सा के खातेदार भगवानसिंह रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. यह कि ख.नं. 450 तादादी 8.7387 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम जासासर तहसील चूरू में प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। बाहमी राजीनामा अनुसार बहादुरसिंह ने अपने 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि वादी शिशपाल की पत्नी सागरकंवर के हक में छोड़ दी है वा इस खसरा नम्बर में प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह का अब कोई हक वा हिस्सा नहीं रहा है। बहादुरसिंह के हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार सागरकंवर पत्नी शिशपालसिंह राजपूत रहेंगी।

यह कि उपरोक्त अनुसार यह राजीनामा व पारिवारिक फैसलानामा हम पक्षकारान ने स्वेच्छा से लिखा दिया है कि वक्त जरूरत काम आवे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार दावा का फैसला फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर दिया है जो न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। दोनों पक्ष राजीनामा में अंकितानुसार दावा डिक्री किये जाने में सहमत हैं। अतः दावा स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री फरमाया जावे।

प्रस्तुत दावा में वादिनी सागरकंवर एवं प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा पेश कर राजीनामा में अंकितानुसार दावा का निर्णय करने का निवेदन उभयपक्ष की ओर से किया गया है, इसलिए लोक अदालत की भावना से इस दावा का निर्णय दावा में कायम की गई तनकीवार न किया जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना यथोचित मानते हुए पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 ग्राम जासासर के ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 तादादी क्रमशः 31.10, 9.09, 0.01, 10.13, 31.10 कुल तादादी 83.03 बीघा में बहादुरसिंह, शिशपालसिंह पि. पाबूदानसिंह कौम राजपूत ब.हि.ब. सा. देह खातेदार अंकित हैं। ख.नं. 450 तादादी 34.11 बीघा रोही जासासर में बहादुरसिंह, शिशपालसिंह पि. पाबूदानसिंह ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा कौम राजपूत व राहिन भगवानाराम पुत्र पोकरराम 2/3 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा. चूरू मु.बि.क. कौम दरोगा सा.देह खातेदार अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की है। दावा में अंकित कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421, 422, 467 के अलावा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त सहखातेदारी की रोही जासासर में अन्य ख.नं. 450 तादादी 34.11 बीघा भी मौजूद है जिसका उल्लेख प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावा एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा में किया है। उक्त ख.नं. 450 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6, 1/6 हिस्सा खातेदारी का है तथा शेष 2/3 हिस्सा में अन्य खातेदार भगवानाराम पुत्र पोकरराम दर्ज है जो दावा में पक्षकार नहीं है। नकल नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी में अंकित ख.नं. 366 जो गलती से नक्शा में 466 अंकित चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावा में राजस्व नक्शा में उक्त ख.नं. 466 को दुरूस्त कर 366 अंकित करने का अनुतोष भी चाहा गया है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के बिन्दु सं. 1 के अनुसार वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421 वा 422 तादादी क्रमशः 7.9673 हैक्टेयर, 2.3902 हैक्टेयर, 0.0126 हैक्टेयर वा 2.6937 हैक्टेयर कुल 13.0638 हैक्टेयर वाके रोही जासासर में सागरकंवर पत्नी शिशपालसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी बहादुरसिंह के हक में छोड़ दिया है जिससे इन खसरा नम्बर की भूमि बहादुरसिंह प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रखी गई है। बिन्दु

उपखण्ड अधिकारी

सं. 2 के अनुसार ख.नं. 467 तादादी 7.9763 हैक्टेयर कृषि भूमि में बहादुरसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा सागरकंवर के पक्ष में छोड़ दिया है जिससे इस खसरा नम्बर में 1/2 व 1/3 हिस्सा की खातेदारर काश्तकार सागरकंवर रहेगी तथा शेष 1/6 हिस्सा के खातेदार भगवानसिंह रहेंगे। बिन्दु सं. 3 के अनुसार ग्राम जासासर में स्थित अन्य ख.नं. 450 तादादी 8.7387 हैक्टेयर में बहादुरसिंह ने अपना 1/6 हिस्सा सागरकंवर के पक्ष में छोड़ दिया है जिससे उक्त खसरा में सागरकंवर 1/3 हिस्सा की खातेदार रहेगी तथा अब बहादुरसिंह का इस खसरा में कोई हिस्सा शेष नहीं रहेगा। राजीनामा दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से लिखाया जाना अंकित किया है तथा सही होना स्वीकार करने पर न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा मय दस्तावेजात, जवाबदावा एवं पक्षकारान द्वारा पेश बाहमी राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा खाता विभाजन का दावा पेश किया गया है जिसमें बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन चाहा गया है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में वादगत भूमि के ख.नं. 366 का अंकन राजस्व नक्शा में ख.नं. 466 के रूप में अंकित होने का उल्लेख करते हुए इसे दुरूस्त करने का निवेदन किया है। पक्षकारान ने अपने राजीनामा में ख.नं. 366, 412, 421 वा 422 तादादी कमशः 7.9673 हैक्टेयर, 2.3902 हैक्टेयर, 0.0126 हैक्टेयर वा 2.6937 हैक्टेयर कुल 13.0638 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में तथा ख.नं. 467 तादादी 7.9763 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि वादिनी के पक्ष में व शेष 1/6 हिस्सा भगवानसिंह के पक्ष में छोड़ी है परन्तु भगवानसिंह इस दावा में पक्षकार नहीं है इसलिए बिना पक्षकार की मौजूदगी के उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। वादगत कृषि भूमि के अलावा इसी ग्राम में ख.नं. 450 तादादी 8.7387 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा भूमि वादिनी के नाम अंकित करवाना चाहा है। वादी का दावा खाता विभाजन का है परन्तु पक्षकारान ने राजीनामा में केवल खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीकशुदा है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी राजीनामा के अनुसार दावा का निर्णय किये जाने में सहमत हैं इसलिए लोक अदालत की भावना से दावा वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी घोषणा की हद तक आंशिक स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421 वा 422, 467, 450 तादादी कमशः 7.9673 हैक्टेयर, 2.3902 हैक्टेयर, 0.0126 हैक्टेयर, 2.6937 हैक्टेयर, 7.9763 हैक्टेयर, 8.7387 हैक्टेयर रोही ग्राम जासासर में से ख.नं. 366, 412, 421 वा 422 कुल तादादी 13.0638 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह को, ख.नं. 467 तादादी 7.9763 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादिनी को एवं ख. नं. 450 तादादी 8.7387 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 366, 412, 421 व 422 में से शिशपालसिंह का एवं ख.नं. 467 व 450 में से बहादुरसिंह का नाम हटाया जाकर घोषणा के अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रारम्भक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. स्वर्गीय शिशपालसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू

1/1 सागरकंवर पत्नी स्व. शिशपालसिंह जाति राजपूत निवासिनी जासासर तहसील व जिला चूरू

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. बहादुरसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 200 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री इब्राहिमखान एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री हीरालाल एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 366, 412, 421 वा 422, 467, 450 तादादी कमशः 7.9673 हैक्टेयर, 2.3902 हैक्टेयर, 0.0126 हैक्टेयर, 2.6937 हैक्टेयर, 7.9763 हैक्टेयर, 8.7387 हैक्टेयर रोही ग्राम जासासर में से ख.नं. 366, 412, 421 वा 422 कुल तादादी 13.0638 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 बहादुरसिंह को, ख.नं. 467 तादादी 7.9763 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादिनी को एवं ख.नं. 450 तादादी 8.7387 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 366, 412, 421 व 422 में से शिशपालसिंह का एवं ख.नं. 467 व 450 में से बहादुरसिंह का नाम हटाया जाकर घोषणा के अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह जून सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू